संख्या सा–3–1220/दस–905/81

प्रेषक,

श्री राज कुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 1981

विषयः––सरकारी सेवक की हत्या करने अथवा उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दोषी पाये गये परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–916/61, दिनांकित 24 अगस्त, 1966 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की गई थी और उसमें समय-समय पर संशोधन भी किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट दशाओं में सरकारी सेवक की सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर निर्धारित क्रम में उसके परिवार के सदस्यों में विधवा/विधुर, अवयस्क पुत्र/पुत्री को निर्धारित दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है।

2––शासन को यह इंगित किया गया है कि कतिपय ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु उसकी हत्या किये जाने के कारण होने और उस अपराध के पीछे, उसकी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र व्यक्ति का हाथ होने का संदेह हो, तो क्या ऐसे मामले में उक्त व्यक्ति को नई पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकार की जानी चाहिये। इस विषय में सविस्तार विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने निम्न-लिखित आदेश प्रदान किये हैं :––

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में अथवा सेवा निवृत्योपरान्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध के लिये या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित हो, तो पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र परिवार का/के अन्य सदस्य के दावे भी हैं, उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा।

(2) यदि उपर्युक्त दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति––

(क) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के लिये दोषसिद्ध किया जाय तो वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित कर दिया जायेगा जो निर्धारित क्रम में परिवार के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो, देय होगी।

(ख) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उसे पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

3––यह आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4––उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रुल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रुल्स, 1961 के अधीन अनुमन्य मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा पारिवारिक पेंशन के संबंध में ऐसे मामलों में समान व्यवस्था अलग से की जा रही है।

5––कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति–स्वीकार की जाय।

भवदीय,
राज कुमार दर,
सचिव।

सं0 सा–3–1220(1)/दस-905/81

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

(1) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम एवं तृतीय, इलाहाबाद ।

(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वितीय, लखनऊ ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
राधा रमन सिकरोरिया
उप सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0––ए0 पी0 59 सा0 (भाषा)––5–10–81–(2124)–1981–10,000–(हिन्दी)